राजस्व अपील संख्या: 28/2024
उनवान तहसीलदार सुमेरपुर बनाम पंकु देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
23.01.2026	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की तलबी/तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की तामीली सुनिश्चित कराने हेतु अवसर प्रदान किया गया एवं पत्राचार भी किया गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा नियत समयावधि में तामीली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी अपने प्रकरण के अनुसरण में उदासीन रहा है तथा प्रत्यर्थी की तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही न करने के कारण प्रकरण को लंबित रखा जाना न्यायोचित नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 09 नियम 05 के अनुरुप, जब अपीलार्थी द्वारा तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है अथवा प्रकरण के अनुसरण में लापरवाही बरती जाती है, तब अपील निरस्त किए जाने योग्य होती है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही न करने एवं प्रकरण के अनुसरण में उदासीनता के कारण प्रस्तुत अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए खारिज (Dismissed for non prosecution) की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner